राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक:-प.1(3)न्याय/2010 दिनांक - 5 JUN 2020

अधिसूचना

इस विभाग द्वारा जारी पूर्व अधिसूचना क्रमांक प.2(1)न्याय/2009 दिनांक 05.04.2013 मे आंशिक संशोधन करते हुए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श उपरान्त उक्त अधिनियम के अधीन मानवाधिकार हनन से संबंधित दर्ज प्रकरणों के विचारण हेतु जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय के न्यायालयों को अपनी-अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के लिये मानवाधिकार न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

5.6.2020

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/08/19/749 **Date:.08/06/2020**

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. The District & Sessions Judge, Jaipur Metro-I & II.
3. The Chief Metro. Magistrate, Jaipur Metro.-I & II.
4. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building, Rajasthan High Court, Jodhpur
5. A.O.J. Computer Cell (for uploading the same on high court website), Rajasthan High Court, Jodhpur.

8.6.2020

REGISTRAR (RULES)

3338
06/05/13

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक- प.2(1)/न्याय/ 2009 जयपुर, दिनांक : 5/4/2013

:: अधिसूचना ::

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श उपरान्त उक्त अधिनियम के अधीन मानवाधिकार हनन से संबंधित दर्ज प्रकरणों के विचारण हेतु जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर (जिला) एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर (जिला) को क्रमश: जयपुर व जोधपुर जिले की स्थानीय सीमाओं के लिए तथा अन्य शेष समस्त जिलों के जिला एवं सेशन न्यायाधीशों को अपनी-अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के लिए मानवाधिकार न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

sd/-

(प्रकाश गुप्ता)

प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

दिनाँक: 3/5/2013

क्रमांक: सामान्य/II/5/2009/636

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. रजिस्टार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर
2. समस्त रजिस्ट्रार,राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर/जयपुर पीठ,जयपुर।
3. संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीशों
4. संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
5. प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक,गोपनीय शाखा/रा.न्या.से.(स्थापन्न)/अधिनस्थ न्यायालय (स्थापन्न) / सांख्यिकी शाखा / बजट शाखा / भवन लिपिक एवं अंक मिलान लिपिक, राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

रजिस्ट्रार (नियम)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2 (1)/न्याय/2009 जयपुर, दिनांक 5 APR 2013

4
32

अधिसूचना

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम ,1993 की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श उपरान्त उक्त अधिनियम के अधीन मानवाधिकार हनन से, संबंधित दर्ज प्रकरणों के विचारण हेतु जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर (जिला) एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर (जिला) को क्रमशः जयपुर व जोधपुर जिले की स्थानीय सीमाओं के लिए तथा अन्य शेष समस्त जिलों के जिला एवं सेशन न्यायाधीशों को अपनी-अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के लिए मानवाधिकार न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है ।

राज्यपाल के आदेश से,

(प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल /सचिव माननीय मुख्यमंत्री , राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री , राजस्थान सरकार
3. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग ,
5. उप शासन सचिव, गृह मानवाधिकार विभाग
6. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, ,जोधपुर
7. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच जयपुर ,जयपुर
8. समस्त जिला कलेक्टर /जिला एवं सैशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान
9. महानिदेशक, आरक्षी/जेल राजस्थान, जयपुर
10. शासन सचिव , विधि , राजकीय वादकरण, शासन सचिवालय, जयपुर
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. निदेशक, सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखण सामग्री विभाग, राजस्थान ,जयपुर को राजपत्र के विशेषांक मे प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित)
14. रक्षित पत्रावली

(देवेन्द्र प्रकाश शर्मा)
उप शासन सचिव